राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 43/2022

कालूलाल पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी कनाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

.......वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 10.03.2022 निर्णय दिनांक : 13.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 123 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम कालूलाल पुत्र श्रीलाल के स्थान पर कालू पुत्र श्रीलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम कालूलाल पुत्र श्रीलाल है। जिसको वादी कालू पुत्र श्रीलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र श्रीलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में कालूलाल पुत्र श्रीलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में कालू पुत्र श्रीलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र श्रीलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम कालू पुत्र श्रीलाल के स्थान कालूलाल पुत्र श्रीलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 10.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.08.2022 के अनुसार कालू पुत्र श्रीलाल एवं कालूलाल पुत्र श्रीलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम कालू पुत्र श्रीलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र श्रीलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादी स्वयं के आधार पर आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 123 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम कालू पुत्र श्रीलाल के स्थान पर कालूलाल पुत्र श्रीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner